

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0बी0स0नि0/सेल-2/एफ-02/2016/482
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7/10/2016

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।

विषय:-राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अन्तर्गत परिवार की परिभाषा बाबत।

—00—

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अन्तर्गत निम्नानुसार परिवार की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है: -

1. पंजीकृत सदस्य स्वयं,
2. पंजीकृत सदस्य का पति अथवा उसकी पत्नी,
3. आश्रित माता/पिता अथवा सास/ससुर,
4. आश्रित बच्चे (अविवाहित एवं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम हो),
5. आश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता बहन/पुत्री/पुत्रवधु,
6. आश्रित निःशक्त भाई/बहन/पुत्र/पुत्री

नोट-"निःशक्त व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में परिभाषित है तथा स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय घात, मानसिक मंदता एवं बहुनिःशक्तता अधिकनयम, 1999 के अंतर्गत आते हो।

संचालक (रा.बी.स.नि.) द्वारा अनुमोदित

पू.क्रमांक 4/रा0बी0स0नि0/सेल-2/एफ-02/2016/483
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. समस्त, संभागायुक्त (राजस्व) मध्यप्रदेश।
5. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. उप सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. अवर सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
8. अपर संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
9. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है की उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक(रा.बी.स.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 7/10/2016

उप संचालक(रा.बी.स.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.